

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2839
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
शहरी गरीबों के लिए आवास इकाइयां

2839. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शहरी गरीबों के लिए अनेक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इन इकाइयों के निर्माण के दौरान और पात्र लाभार्थियों को इन इकाइयों को देने से पूर्व विचारार्थ मानदंडों और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा कितने आवासों का निर्माण किया गया; और

(घ) क्या लाभ कमाने के लिए लाभार्थियों द्वारा आवंटित मकानों को बेचने अथवा हस्तांतरित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्का आवास प्रदान करने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। इस योजना को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाता है:

- (i) भारत में, कहीं भी अपने नाम या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्के आवास का मालिक नहीं हो।
- (ii) 3 लाख रूपए तक की वार्षिक घरेलू आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंध रखता हो, सीएलएसएस घटक को छोड़कर जिसमें निम्न आय

समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया था।

(iii) बीएलसी घटक के तहत लाभ उठाने के लिए भूमि का स्वामित्व हो।

बीएलसी घटक के तहत आवासों का निर्माण स्वयं लाभार्थियों द्वारा किया जाना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/यूएलबी द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि आईएसएसआर और एएचपी परियोजनाओं के तहत बुनियादी नागरिक इन्फ्रस्ट्रक्चर जैसे पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि हैं। यूएलबी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बीएलसी और सीएलएसएस घटक के तहत व्यक्तिगत घरों में इन बुनियादी नागरिक सेवाओं का प्रावधान हो। पीएमएवाई-यू के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, मिशन के तहत भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि से बचने के लिए संरचनात्मक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) और अन्य प्रासंगिक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) कोड के अनुरूप घरों का डिजाइन और निर्माण किया गया है।

पीएमएवाई-यू के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दे दी गई है, जिनमें से 114.23 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 02.12.2024 तक शहरी क्षेत्रों में 88.32 लाख आवासों को पूरा किया गया है/लाभार्थियों में वितरित किया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, कुल 66.17 लाख आवासों को स्वीकृति दे दी गई है और क्रमशः 70.53 लाख और 57.14 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और पूरे किए गए हैं/लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं।

स्थानीय संदर्भ के अनुसार, लॉक-इन अवधि को परिभाषित करके संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा घरों के हस्तांतरण या बिक्री से संबंधित नीतियां तैयार की जाती हैं। पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से “सभी के लिए आवास” पीएमएवाई-यू 2.0 मिशन शुरू किया है, ताकि पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर घर का निर्माण, खरीद की जा सके और किराए पर लिया जा सके। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत, बीएलसी, एएचपी और आईएसएस घटक के तहत घर के पूरा होने की तारीख से पांच साल की अवधि का एक अनिवार्य लॉक-इन प्रावधान किया गया है और लाभार्थियों को लॉक-इन अवधि के दौरान घर बेचने/स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है।
